मुस्कुराना छोड़ ठहाका लगाइए कि आप खूनी लखनऊ में हैं : पुण्य प्रसून वाजपेयी

अब ठहाके लगाते हुये हत्या करना और हत्या कर और जोर से ठहाके लगाने वाला शहर लखनऊ हो चला है। बस जेहन में ये बसा लीजिये कि लखनऊ की पहचान वाजिद अली शाह से नही योगी आदित्यनाथ से हैज.

वरिष्ठ पत्रकार पुण्य प्रसून वाजपेयी

'न तो हम रुके हुये थे और न ही आपत्तिजनक अवस्था में थे। हमारी ओर से कोई उकसावा नहीं था मगर कांस्टेबल ने गोली चला दी।" ये लखनऊ की सना खान का बयान है, जो कार में ड्राइवर की बगल वाली सीट पर बैठी थी और ड्राइवर की सीट पर उनका बॉस विवेक तिवारी बैठा हुआ था। दोनों ही एप्पल कंपनी में काम करने वाले प्रोफेशनल्स हैं। और शाम ढलने के बाद अपनी कंपनी के एक कार्यक्रम से रात होने पर निकले तो किसी फिल्मी अंदाज में पुलिस कांस्टेबल ने सामने से आकर सर्विस रिवाल्वर से गोली चली दी, जो कार के शीशे को भेदते हुये विवेक तिवारी के चेहरे के ठीक नीचे ठोडी में जा फंसी।

कैसे सामने मौत नाचती है और कैसे पुलिस हत्या कर देती है इसे अपने बॉस की हत्या के 30 घंटे बाद पुलिस की इजाजत मिलने पर सना खान ने कुछ यूं बताया, 'हम कार्यक्रम से निकले और सर ने कहा कि वह मुझे घर छोड़ देंगे।'

'मकदूमपुर पुलिस पोस्ट के पास बायीं और से दो पुलिसवाले कार के बराबर आकर चलने लगे। वे चिल्लाये रुको। मगर सर गाड़ी चलाते रहे क्योंकि रात का समय था। उन्हें मेरी सुरक्षा की चिंता थी, पर तभी इनमें से एक कास्टेबल बाईक से उतरा और लाठी से गाड़ी पर वार करना शुरु कर दिया। मगर सर ने कार नहीं रोकी, तो दूसरे ने गाड़ी को ओवरटेक किया और 200 मीटर आगे जाने के बाद सड़क के बीच में बाईक रोक दी और हमें रुकने को कहा। 'हमारी कार कम गति से आगे बढ़ रही थी और फिर गाड़ी रोक दी। तभी कांस्टेबल ने अपनी बंदूक निकाली और सामने से सर पर गोली चला दी। सर ने गाड़ी पर नियंत्रण खो दिया और वह आगे चलकर खंभे से टकरा कर रुक गयी। मैंने ट्रक ड्राईवर को रोकने की कोशिश की। बाद में गाडी पर गश्त लगा रहे पुलिसकर्मियों ने हमें देखा और उनसे सर को अस्पताल ले जाने की गुजारिश की।'

और उसके बाद जो हुआ वह बताने के लिये सना भी सामने न आ सके, इसकी व्यवस्था भी शुरुआती घंटों में पुलिस ने ही की। जब सना को पुलिस ने इजाजत दे दी कि वह बता सकती है कि रात हुआ क्या तो झटके में योगी सिस्टम तार तार हो गया। उसके बाद लगा यही कि किस किस के घर में जाकर अब पूछा जाये कि उस रात क्या हुआ था जब किसी का बेटा, किसी का पति, किसी का बाप पुलिस इनकाउंटर में मारा जा रहा था और खाकी वर्दी ये कहने से नहीं हिचक रही थी, अपराधी थे मारे गये।

फेहरिस्त वाकई लंबी है जो एनकाउंटर में मारे गये। नामों के आसरे टटोलियेगा तो यूपी के 21 नामों पर गौर करना होगा। मसलन गुरमीत, नौशाद, सरवर, इकराम, नदीम, शमशाद, जान मोहम्मद, फुरकान, मंसूर, वसीम, विकास, सुमित, नूर मोहम्मद, शमीम, शब्बीर, बग्गा सिंह, मुकेश राजभर , अकबर, रेहान, विकास।

ये वो नाम हैं तो बीते डेढ बरस के दौर में एनकाउंटर में मारे गये। तो जो एनकाउंटर में मारे गये और एनकाउंटर में मारे गये लोगो के कमोवेश हर घर के भीतर आज भी ऐसा सन्नाटा है कि कोई बोल नहीं पाता। 12 मामले अदालत की चौखट पर हैं, पर गवाह गायब हैं। चश्मदीद नदारद हैं। कौन सामने आये। कौन कहे।

पर सना ने तो अपनी बगल की सीट पर मौत देखी। कानून के रखवालों के उस अंदाज को देखा जो कानून में हाथ लेकर हत्या करने के लिये बेखौफ थे। खाकी वर्दी के उस मिजाज को समझो जो हत्या करने पर इसलिये आमादा थी, क्योंकि हत्या को एनकाउंटर कहकर छाती पर तमगा लगाना फितरत हो चुकी है। वैसे ये पहली बार हुआ हो ये भी नहीं है, लेकिन पहली बार हत्या करने का लाइसेंस जिस तरह सत्ता ने पुलिस महकमे को यूपी में दे दिया है उसमें एनकाउंटर हत्या हो नहीं सकती और हत्या को एनकाउंटर बताना बेहद आसान हो चला है। तो क्या बहस सिर्फ इसी कठघरे में आकर रुक जायेगी कि पुलिस से भी गलती हो जाती है, क्योंकि हत्या तो देहरादून में 3 जुलाई 2009 को भी हुई थी, जब लाडपुर के जंगलों में पुलिस ने रणवीर नाम के एक छात्र के साथ खूनी खेल खेला था। हत्या तो दिल्ली के कनाट प्लेस में भी हो चुकी है।

अदालत ने पुलिस को हत्यारा कहने में भी हिचक नहीं दिखायी। लेकिन तब तक अदालत में सुनवाई के दौरान किसी अधिकारी ने ये नहीं कहा था कि इनकाउंटर पुलिस का हुनर हो चुका है, लेकिन यूपी के योगी माडल में ही जब इनकाउंटर के बूते प्रमोशन का लालच सिपाही-हवलदार-दारोगा-कास्टेबल को दिया जा चुका है तो सिपाही के दिमाग में इनकाउंटर के अलावे और क्या जायेगा। नतीजतन खुले तौर पर हत्या करते वक्त भी किसी सिपाही के हाथ क्यों कांपेंगे, जबकि उसको पता है कि सत्ता में अपराधियों की भरमार है।

पूरी राजनीति अपराधियों से पटी पड़ी है। ऐसे में सिपाही को अपराधी कहकर कैसे सियासत होगी और कौन राजनीति करेगा। यानी खुद अपने उपर से आपराधिक मामलों को कैबिनेट के जरिये जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खत्म करा लेते हैं, जबकि चुनावी हलफनामे में आईपीसी की सात धाराओ के साथ तीन मुदकमे दर्ज होने का जिक्र था। पर सीएम ही जब अदालती कार्रवाई के रास्ते न्याय को खारिज करते हुये अपने विशेषाधिकार का इस्तेमाल करता हो तो फिर जिस कांस्टेबल ने गोली चलायी, हत्या की उस खाकी वर्दी को बचाने का काम कौन सी सत्ता नहीं करेगी।

क्योंकि सत्ता का एक सच तो ये भी है कि दस कैबिनेट मंत्री और 6 राज्य स्तर के मंत्रियों पर आईपीसी की धाराओं के तहत मामले दर्ज हैं और ऐसा भी नहीं है कि दूसरी तरफ विपक्ष के सत्ता में रहने के दौर उसके कैबिनेट और राज्य स्तर के मंत्रियों के खिलाफ आईपीसी की आपराधिक धारायें नहीं थीं। डेढ़ दर्जन मंत्री तब भी खूनी दाग लिये सत्ता में थे। फिर हत्या करने वाले पुलिस का मामला अदालत में जाये या फिर पूरे मामले को सीबीआई को सौप दिया जाये।

अपराधी होगा कौन। सजा मिलेगी किसे और कौन गारंटी लेगा कि अब इस तरह की हत्या नहीं होगी। दरअसल लखनऊ के मिजाज में अब मुस्कुराना शब्द ठहाके लेने में बदल चुका है और कल तो मुस्कुराते हुये आप अदब के शहर लखनऊ में होने का गुरूर पाल सकते थे। लेकिन अब ठहाके लगाते हुये हत्या करना और हत्या कर और जोर से ठहाके लगाने वाला शहर लखनऊ हो चला है। बस जेहन में ये बसा लीजिये कि लखनऊ की पहचान वाजिद अली शाह से नही योगी आदित्यनाथ से है।

दाती महाराज पर रेप केस में सीबीआई जांच का आदेश, हाईकोर्ट सख्त

बलात्कार के आरोपी दाती महाराज से भावविभोर हो मिलते भाजपा अध्यक्ष अमित शाह

दाती महाराज हो या राम रहीम या फिर आसाराम जैसा सिरियल बलात्कारी, आखिर सबके सब भाजपा नेताओं के इतने करीबी क्यों होते हैं, क्या भाजपा ऐसे बलात्कारी बाबाओं की शरणस्थली है?

वरिष्ठ पत्रकार जेपी सिंह की रिपोर्ट

जनज्वार। बलात्कार के आरोप में फंसे टीवी चैनलों पर करीब डेढ़ दशकों से छाए रहने वाले दाती महाराज उर्फ शनि महाराज उर्फ मदनलाल राजस्थानी की अब तक गिरफ्तारी न हो पाने पर सख्ती दिखाते हुए दिल्ली हाईकोर्ट ने केस सीबीआई को सौंप दिया है। इससे पहले इस मामले की जांच क्राइम ब्रांच कर रही थी।

दाती महाराज पर अपनी शिष्या से रेप का आरोप है। मामले की अगली सुनवाई 30 अक्टूबर को होगी। इससे यह सवाल भी उठ रहा है की खादी, खाकी, नौकरशाह और धन्नासेठों के कृपापात्र रसूखदार दुष्कर्मी बाबाओं से पुलिस डरती है या पुलिस की मिलीभगत है?

राजस्थान की मुख्यमंत्री वसुंधरा के साथ बलात्कार का आरोपी दाती

इस मामले में 1 अक्टूबर को साकेत कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की गई थी। दाती मदन महाराज के खिलाफ आईपीसी की धारा 376 (रेप) और 377 (अप्राकृतिक यौन संबंध) के तहत केस दर्ज किया गया था। आज 3 अक्टूबर को इस मामले में सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने पुलिस द्वारा दाखिल चार्जशीट पर सवाल उठाये। संतुष्ट न होने पर कोर्ट ने यह केस सीबीआई को ट्रांसफर करते हुए सप्लिमेंट्री चार्चशीट दाखिल करने के आदेश दिए हैं।

गौरतलब है कि इसी साल 7 जून को दाती की एक शिष्या ने उसके खिलाफ बलात्कार की शिकायत दर्ज करवाई थी। मामला साल 2016 के जनवरी और मार्च महीनों का है। पीड़ति ने दाती महाराज के अलावा 5 अन्य लोगों पर दाती का साथ देने की शिकायत दर्ज करवाई थी।

दुष्कर्म मामले में दिल्ली पुलिस ने दाती महाराज सहित उसके तीन सौतेले भाइयों को बिना गिरफ्तार किए 1 अक्टूबर को चार्जशीट दाखिल कर दी थी। दाती की शिष्या ने दुष्कर्म का आरोप लगाकर फतेहपुर बेरी थाने में एफआईआर दर्ज करवाई थी। इस मामले में पुलिस ने आरोप-प्रत्यारोप का हवाला देकर करीब 300 पन्नों की चार्जशीट दाखिल की है।

तीन माह पहले 10 जून को फतेहपुर बेरी थाने में मुकदमा दर्ज होने के अगले दिन पुलिस आयुक्त अमूल्य पटनायक ने केस को क्राइम ब्रांच में स्थानांतरित कर दिया था। क्राइम ब्रांच ने युवती और उनके परिजनों से पूछताछ के साथ जांच शुरू की थी। दाती से आठ बार और उसके सौतेले भाइयों से भी कई बार पूछताछ की गई।

राजस्थान की रहने वाली 25 साल की युवती ने दाती व उसके तीन सौतेले भाइयों पर दुष्कर्म का आरोप लगाया है। इसके अनुसार, 9 जनवरी 2016 को पाली आश्रम से करीब 45 युवतियों को चरण वंदना (पैर दबाने) के लिए दिल्ली बुलाया गया था। इनमें वह भी शामिल थी।

युवती का आरोप है कि उसी रात दाती ने पहली बार उसके साथ दुष्कर्म किया था, फिर उसके तीन सौतेले भाइयों अनिल, अशोक व अर्जुन ने दुष्कर्म किया था। उसके बाद 26, 27 व 28 मार्च 2016 को युवती से पाली स्थित आश्रम में दाती और उसके तीनों भाइयों ने दुष्कर्म किया था। उसके परिजन ने करीब 10 साल पहले पढ़ाई के लिए उसे दाती के राजस्थान पाली स्थित बालाग्राम गुरुकुल आश्रम में भेजा था। बाद में उसे छतरपुर स्थित आश्रम में भेज दिया गया।

राजस्थान के पाली जिले के एक गांव में ढोल बजाकर रोटी कमाने वाले मेघवाल समुदाय के देवाराम के घर पैदा हुआ मदनलाल किसी जमाने में दिल्ली में चाय की दुकान में काम करता था। फिर कैटरिंग के धंधे में हाथ आजमाते हुए एक ज्योतिषी से जन्मपत्री देखने का गुर सीखकर ज्योतिषी बन गया।

इसके बाद मदनलाल के दाती महाराज बनने में देर नहीं लगी और वह दिल्ली की कैलाश कॉलोनी में ज्योतिष केन्द्र चलाने लगा। कुछ नेताओं के संपर्क में आने के बाद उसके दिन फिर गए और वो फतेहपुर बेरी में शनि मंदिर का शनि महाराज बन गया। एक टीवी चैनल ने उसे स्लॉट देकर देश भर में ख्याति दे दी। कई एकड़ में उसका आश्रम बन गया। हर शनिवार को उसके आश्रम में मेला लगने लगा। टीवी चैनलों पर बाबा को देख देखकर शनिवार अमावस्या को हजारों लोग जुटने लगे और दाती महाराज का सितारा बुलंदी पर पहुंच गया।

हिंदू आम तौर पर धर्मभीरु होते हैं और शनि ग्रह से बहुत डरते है। ज्योतिष की मान्यताओं में शनि की साढ़ेसाती सबसे ज्यादा नुकसानदायक मानी जाती है। दाती महाराज ने इन मान्यताओं का अपने फायदे के लिए इस्तेमाल किया। जब लोग शनि की साढ़ेसाती के प्रभाव में आकर उससे बचने के उपाय खोज रहे थे, दाती महाराज ने एक नई थ्योरी दी और कहा कि शनि शत्रु नहीं मित्र है।

उस वक्त तक दाती महाराज इकलौते ऐसे ज्योतिषी कम संत बन गए, जिन्होंने अब तक शत्रु माने जा रहे शनि को दोस्त करार दिया। इसके बाद से ही उनके अनुयायियों की संख्या तेजी से बढने लगी । 2010 में जब हरिद्वार में महाकुंभ लगा तो श्री पंचायती महानिर्वाणी अखाड़े ने दाती महराज को महामंडलेश्वर की उपाधि दी थी।

हमारे देश में बाबा, तांत्रिक, मौलवी, पादरी और धर्मगुरुओं का अरबों खरबों का साम्राज्य है, जहाँ तमाम तरह के डर दिखाकर पूजा पाठ,धार्मिक अनुष्ठान,झाडफूंक,तंत्र-मंत्र और भूतप्रेत से मुक्ति दिलाने का कारोबार चलता है । ये श्रद्धालुओं का आर्थिक ,दैहिक और मानसिक शोषण करते हैं। ये प्रशासन की मिलीभगत से जमीनों पर कब्जे करके आश्रम बनाते हैं।इस तरह के काले धंधे करते हैं।

नेताओं, उद्योगपतियों, कलाकारों, फिल्मी हस्तियों और रसूखदार चेहरों से निकटता बढ़ाकर अपना प्रभामंडल तैयार करते हैं। जितना ज्यादा प्रभामंडल की आभा फैलती है उतना ज्यादा बड़ी दुकान सजती है । राजनेताओं के साथ की तस्वीरें इनकी दुकानों को वैधता प्रदान करती हैं। सत्ता और सियासत का संरक्षण ऐसे बाबाओं को महिमामंडित करता है ,जिससे उनकी दुकान तेजी से चमकने लगती है।

गौरतलब है कि इससे पहले सिटीजन फोरम फॉर सिविल राइट्स (एनजीओ) ने याचिका दायर कर 25 वर्षीय युवती से दुष्कर्म के मामले में पुलिस की जांच पर सवाल उठाते हुए सीबीआइ से जांच कराने की मांग की थी। याचिका में आरोप लगाया गया था कि दाती महाराज की गिरफ्तारी न होने से गवाहों को प्रभावित किया जा सकता है और सबूत नष्ट किए जा सकते हैं।

हाईकोर्ट ने 11 जुलाई को इस याचिका को ठुकरा दिया था। तब जस्टिस मुक्ता गुप्ता की पीठ ने कहा था कि याचिकाकर्ता गैर सरकारी संस्था मामले में पीड़ति नहीं है। इससे एनजीओ का कोई मतलब नहीं है। अगर पीड़ति और आरोपित इस संबंध में याचिका दायर करे तो विचार किया जाएगा।

हम पंछी एक डाल के

मोदी राज की मेहरबानी- अमीरों के 3 लाख करोड़ लोन माफ हुए, मंत्री ने ट्वीट तक नहीं किया

गिरीश मालवीय

मोदी राज के चार साल में 21 सरकारी बैंको ने 3 लाख 16 हज़ार करोड़ के लोन माफ कर दिए हैं। क्या वित्त मंत्री ने आपको बताया कि उनके राज में यानी अप्रैल 2014 से अप्रैल 2018 के बीच तीन लाख करोड़ के लोन माफ किए गए हैं? यही नहीं इस दौरान बैंकों को डूबने से बचाने के लिए सरकार ने अपनी तरफ से हज़ारों करोड़ रुपये बैंकों में डाले हैं। जिस पैसे का इस्तमाल नौकरी देने में खर्च होता, शिक्षा और स्वास्थ्य की सुविधा देने में खर्च होता वो पैसा चंद उद्योगपतियों पर लुटा दिया गया।

इंडियन एक्स्प्रेस में अनिल शशी की यह ख़बर पहली ख़बर के रूप में छापी गई है। भारत का स्वास्थ्य, शिक्षा और सामाजिक सुरक्षा का जो कुल बजट है उसका दोगुना लोन बैंकों ने माफ कर दिया। 2018-19 में इन तीनों मद के लिए बजट में 1 लाख 38 हज़ार करोड़ का प्रावधान रखा गया है। अगर लोन वसूल कर ये पैसा स्वास्थ्य, शिक्षा और सामाजिक सुरक्षा पर खर्च होता तो समाज पहले से कितना बेहतर होता। अप्रैल 2014 से अप्रैल 2018 के बीच बैंकों ने मात्र 44,900 करोड़ की वसूली की है। बाकी सब माफ। इसे अंग्रेज़ी में राइट ऑफ कहते हैं। ये आंकड़ा भारतीय रिज़र्व बैंक का है।

जबकि बीजेपी ने अप्रैल महीने में ट्वीट किया था कि 2016 में इन्सॉलवेंसी एंड बैंकरप्सी कोड के कारण 4 लाख करोड़ लोन की वसूली की गई है। रिज़र्व बैंक का डेटा कहता है कि 44,900 करोड़ की वसूली हुई है। उस वक्त भी पत्रकार सन्नी वर्मा ने अपनी रिपोर्ट में इस बोगस दावे का पर्दाफाश किया था। जबकि हकीकत यह है कि मोदी राज में जितनी वसूली हुई है उसका सात गुना तो माफ कर दिया गया। गनीमत है कि इस तरह की खबरें हिन्दी के अखबारों में नहीं छापी जाती हैं इसलिए जनता का एक बड़ा हिस्सा इन अखबारों के ज़रिए बेवकूफ बन रहा है। तभी मैं कहता हूं कि हिन्दी के अखबार हिन्दी पाठकों की हत्या कर रहे हैं। उनके यहां बेहतरीन पत्रकारों की फौज है मगर ऐसी ख़बरें होती ही नहीं जिनमें सरकार की पोल खोली जाती हो।

मोदी सरकार के मंत्री NPA के सवाल पर विस्तार से नहीं बताते हैं। बस इस पर ज़ोर देकर निकल जाते हैं कि ये लोन यूपीए के समय के हैं। जबकि वो भी साफ साफ नहीं बताते कि 7 लाख करोड़ के NPA में से यूपीए के समय का कितना हिस्सा है और मोदी राज के समय का कितना हिस्सा है। भक्तों की टोली भी झुंड की तरह टूट पड़ती है कि NPA तो यूपीए की देन है। क्या हमारा आपका लोन माफ होता है? फिर इन उद्योगपतियों का लोन कैसे माफ हो जाता है? पांच साल से उद्योगपति चुप हैं। वे कुछ नहीं बोलते हैं। नोटबंदी के समय भी नहीं बोले। उद्योगपति चुप इसलिए कि उनके हज़ारों लाखों करोड़ के लोन माफ हुए हैं? तभी वे जब भी बोलते हैं, मोदी सरकार की तारीफ़ करते हैं।

कायदे से मोदी राज में तो लोन वसूली ज्यादा होनी चाहिए थी। वो तो सख़्त और ईमानदार होने का दावा करती है। मगर हुआ उल्टा। एक तरफ ह्क्क बढ़ता गया और दूसरी तरफ लोन वसूली घटती गई। 21 सरकारी बैंकों ने संसद की स्थायी समिति को जो डेटा सौंपा है उसके अनुसार इनकी लोन रिकवरी रेट बहुत कम है। जितना लोन दिया है उसका मात्र 14.2 प्रतिशत लोन ही रिकवर यानी वसूल हो पाता है।

अब आप देखिए। मोदी राज में NPA कैसे बढ़ रहा है। किस तेज़ी से बढ़ रहा है। 2014-15 में NPA 4.62 प्रतिशत था जो 2015-16 में बढ़कर 7.79 प्रतिशत हो गया। दिसंबर 2017 में NPA10.41 प्रतिशत हो गया। यानी 7 लाख 70 हज़ार करोड़। इस राशि का मात्र 1.75 लाख करोड़ नेशनल कंपनी लॉ ट्राइब्यूनल में गया है। यह जून 2017 तक का हिसाब है। उसके बाद 90,000 करोड़ का NPAभी इस पंचाट में गया। यहां का खेल भी हम और आप साधारण लोग नहीं समझ पाएंगे।

इस ख़बर में बैंक के किसी अधिकारी ने कहा है कि लोन को माफ करने का फैसला बिजनेस के तहत लिया गया होता है। भाई तो यही फैसला किसानों के लोन के बारे में क्यों नहीं करते हैं। जिनकी नौकरी जाती है, उनके हाउस लोन माफ करने के लिए क्यों नहीं करते हो? ज़ाहिर है लोन माफ करने में सरकारी बैंक यह चुनाव खुद से तो नहीं करते होंगे।

NPA का यह खेल समझना होगा। निजीकरण की वकालत करने वाली ये प्राइवेट कंपनियां प्राइवेट बैंकों से लोन क्यों नहीं लेती हैं? सरकारी बैंकों को क्या लूट का खजाना समझती हैं? क्या आप जानते हैं कि करीब 8 लाख करोड़ का NPA कितने उद्योगपतियों या बिजनेस घरानों का है? गिनते के सौ भी नहीं होंगे। तो इतने कम लोगों के हाथ में 3 लाख करोड़ जब जाएगा तो अमीर और अमीर होंगे कि नहीं। जनता का पैसा अगर जनता में बंटता तो जनता अमीर होती। मगर जनता को हिन्दू मुस्लिम और पाकिस्तान दे दो और अपने यार बिजनेसमैन को हज़ारों करोड़।

यह खेल आप तब तक नहीं समझ पाएंगे जब तक खुद को भक्त मुद्रा में रखेंगे। मोदी राज के चार साल में 3 लाख 16 हज़ार करोड़ का लोन माफ हुआ है। यह लोन माफी जनता की नहीं हुई है, NPA के मामले में मोदी सरकार बनाम यूपीए सरकार खेलने से पहले एक बात और सोच लीजिएगा। इस खेल में आप उन्हें तो नहीं बचा रहे हैं जिन्हें 3 लाख करोड़ मिला है? ये समझ लेंगे तो गेम समझ लेंगे।